



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14102024-257826
CG-DL-W-14102024-257826

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 29,—अक्टूबर 5, 2024, शनिवार/ आश्विन 7—आश्विन 13, 1946
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 29,—OCTOBER 5, 2024, SATURDAY/ASVINA 7—ASVINA 13, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(समन्वय निदेशालय)
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1966 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने

का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद में भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सहायक निदेशक (बीजलेख), समूह 'क', पद भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—इससे संबद्ध पद की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (बीजलेख) ।	2* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स रू० 56100-177500 में स्तर-10 ।

चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, इसमें न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति :- संयुक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रू० 47600-151100 के स्तर-8 के उस श्रेणी में नियमित आधार पर चार वर्ष की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा संचालित उन्नत पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण 1.- ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की ही रहेगी जो मूल नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>टिप्पण 2.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस संगठन के अधिकारी, जो:-</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स रू० 53100-167800 के स्तर-9 में या समतुल्य वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा</p>

		<p>की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों,-</p> <p>(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित विषय के साथ स्नातक की डिग्री और 12वीं स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो; या</p> <p>(ii) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजीनियरी में स्नातक या विज्ञान(इंजीनियरी) में स्नातक की डिग्री; और क्रिप्टो प्रणाली में काम करने का तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या समतुल्य द्वारा संचालित पुलिस उन्नयन बीजलेख पाठ्यक्रम श्रेणी-I पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो; और</p> <p>समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार या राज्य पुलिस संगठन या संघ राज्य क्षेत्र पुलिस संगठन या समतुल्य द्वारा संचालित दो सप्ताह की अवधि का पुनश्चर्या बीजलेख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य ;</p>	<p>प्रोन्नति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

3. निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार समूह 'क' त्रिभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	- सदस्य।
1. संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- अध्यक्ष;
2. उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार	- सदस्य ;
3. समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य	- सदस्य।

[फा. सं. ए. 11016/1/आर. आर .एडी(सीवाई)/2020-प्रशा.II]

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Directorate of Coordination)****(POLICE WIRELESS)**

New Delhi, the 26th September, 2024

G.S.R. 127.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination (Police Wireless) Recruitment to class I and class II Posts Rules, 1966 in so far as they relate to the post of Assistant Director (Cipher) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to the method of recruitment to post of Assistant Director (Cipher) in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Assistant Director (Cipher), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Director (Cipher).	2 * (2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)		(7)
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.	Promotion failing which by deputation.	<p>Promotion: Joint Assistant Director (Cipher) in the level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with four years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and have successfully completed two weeks training in Advance Refresher Cipher Course conducted by the Directorate of Co-ordination Police Wireless or from any other recognised Institute.</p> <p>Note 1.-The eligibility service shall continue to be the three years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the rules.</p> <p>Note 2.-Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State Police Organisation or Union territory Police Organisation,-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre department; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment, to the post on a regular basis post in level 09 (Rs.</p>

1. Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless — Chairman;	
2. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless —Member;	
3. External member equivalent to Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless — Member.	

[F. No. A-11016/1/RR.AD(Cy)/2020-AD.II]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 128.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती नियम, 1966 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक के पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में सहायक निदेशक के पद में भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सहायक निदेशक, समूह 'क', पद भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—इससे संबद्ध पद की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।